न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1450–दो/2002 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–3–2002 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 77/2000–01 अपील

1– भूपसिंह पुत्र सरमनलाल
2– रामप्रकाश 3– बलराम
4– सत्यनारायण पुत्रगण रामसहाय
निवासी ग्राम सकराया तहसील अटेर
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन –––अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(दिनांक 1–2– 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–3–2002 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामप्रकाश ने सहायक बदोवस्त अधिकारी, अटेर को आवेदन देकर बताया कि उसके नाम गाम सकराया में भूमि सर्वे नंबर 1013/2 रकबा 0.073 हैक्टर है परन्तु बंदोवस्त के दौरान यह नंबर छोड़ दिया गया है इसलिये उसके खाते में समाविष्टि कर अभिलेख में प्रविष्टि की जावे। सहायक बंदोवस्त अधिकारी अटरे ने प्रकरण क्रमांक 12/1996-97 बी 121 दर्ज किया तथा जांचोपरांत उक्त सर्वे नंबर में फूफ से अटेर जाने वाली पक्की सड़क होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 34/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-2000 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 77/2000-2001 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 22 मार्च 2002 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि रामप्रकाश ने सहायक बदोवस्त अधिकारी, अटेर को आवेदन देकर मांगी की थी कि उसके नाम गाम सकराया में भूमि सर्वे नंबर 1013/2 रकबा 0.073 हैक्टर है परन्तु बंदोवस्त के दौरान यह नंबर छोड़ दिया गया है इसलिये उसके खाते में इसे समाविष्टि किया जावे। जब सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने इस सर्वे नंबर के सम्बन्ध में सहायक अधीक्षक भू अभिलेख बंदोवस्त से मौके की जांच कराई, स्थल पैमायश एंव जांच में पाया गया कि इस सर्वे नंबर की भूमि पर फूफ से अटेर जाने वाली पक्की सड़क बनी हुई है अर्थात मौके पर कोई भूमि नहीं है और जब मौके पर भूमि नहीं है तब आवेदक

को सर्वे नंबर 1013/2 रकबा 0.073 हैक्टर दिया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार इस सर्वे नंबर एंव रकबे मांग सहायक बंदोवस्त अधिकारी से किया जाना असत्य आधारों पर आधारित होना प्रमाणित हुआ, जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेशों के निष्कर्ष एक-समान हैं जो विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समरूप पाये जाने से निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 77/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-2002 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर